सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर (जिला–अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 114/2017

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – राजियावास

1. श्री घीसा सिंह पुत्र श्री बिरदा सिंह आयु 64 वर्ष
2. श्री भोजा सिंह पुत्र श्री भोम सिंह आयु 70 वर्ष

समस्त जाति रावत निवासियान ग्राम कालिंजर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर

........................वादीगण

बनाम

1. श्री अनोप सिंह उर्फ पप्पू उर्फ अनोखसिंह पुत्र स्व. श्री पन्ना आयु 50 वर्ष
2. श्रीमती सायरी पत्नि श्री पन्ना आयु 68 वर्ष

जाति रावत निवासियान ग्राम कालिंजर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

3. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय ब्यावर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील ब्यावर

................प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक : 17.05.2018

वादीगण ने सारांशतः कथन किए हैं कि वादीगण के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की हक हिस्से की आराजी खसरा संख्या 1049 रकबा 01–12–00, 1081 रकबा 01–12–10, 1098 रकबा 06–13–10 भूमियों का खरीदशुदा हक व हिस्सा की आराजी कृषि भूमि ग्राम कालिंजर पटवार हल्का कालिंजर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राजियावास तहसील ब्यावर में स्थित चली आ रही है। प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा वादपत्र के पद संख्या 2 में अंकित है। सजरा अनुसार पन्ना पूर्व में श्रीमती सायरी से विवाहित था जिससे प्रतिवादी संख्या 1 उत्पन्न हुआ, उसके पश्चात् श्री पन्ना की मृत्ज्यु हो गयी तत्पश्चात श्रीमती सायरी ने श्री कालू के अविवाहित होने के कारण सामाजिक रिति रिवाजानुसार श्री कालू से नाता विवाह कर लिया व उक्त नाता विवाह के पश्चात् श्री कालू व सायरी से कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई एवं आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व कालू की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार श्री कालू व श्री पन्ना के जीवित वारिसान मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात अन्य सहखातेदारानों की संयुक्त आराजी कृषि भूमि है लेकिन उपरोक्त सहखातेदारानों में से श्री कालू पुत्र श्री रूपा ने व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 ने स्वतंत्र सहमति से दिनांक 28.07.1989 को बएवज प्रतिफल राशि रू. 12000/– में वादीगण को कत्तई बेचान कर उक्त बेचाननामा निष्पादित करवा उक्त बेचाननामा का पंजीयन दिनांक 28.07.1989 को ही उपपंजीयक कार्यालय ब्यावर में पंजीयन करवा उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात में से कालू व पन्ना पुत्रान रूपा जी के हक व हिस्से की भूमियों का वादीगण को कब्जा करवा दिया। अन्य सहखातेदारानों से किसी प्रकार का कोई विवाद वादीगण से नहीं है इसलिये उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। वादीगण यही मानते रहे कि अपने हक में बेचाननामें के आधार पर राजस्व रेकार्ड में नाम भी चढ गया होगा, लेकिन आज दिवस तक उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी के पिता/बड़ा पिता श्री कालू व पन्ना के नाम ही राजस्व रेकार्ड में अंकन चली आयी व प्रतिवादी संख्या 1 एक चालाक प्रवृत्ति का व्यक्ति होने के कारण उक्त बेचान की भूमि को पुनः स्वयं के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन दरामद करवा ली व उक्त गलत व गैरकानूनी नाम अंकन होने का बेजा फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 20.11.2017 को उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात पर दो जमीनों के दलालों को लेकर आया व लाकर उपरोक्त भूमियों को

..................लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

अन्यत्र बेचान कर खुदबुर्द करने की धमकी वादी संख्या 2 को दी। इसलिए श्रीमान् के समक्ष वाद पेश करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमायी जावे कि वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी कृषि भूमियों की खातेदारी में से प्रतिवादी सं.1 लगायत 2 के नाम के स्थान पर दुरूस्त करवा वादीगण के नाम वादपत्र में वर्णितानुसार बेचाननामा दिनांक 28.07.1989 की रूह में अंकन करने का आदेश पारित फरमावें तथा राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 ने मज़में आम में रूबरू मोतबिरान कथन किए कि वे जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बयान प्रस्तुत करना चाहते हैं।

बयान कलबद्ध किये गये। मज़में आम में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने कथन किए कि वादग्रस्त आराजियात बाबत् यदि कोई बेचाननामा वादीगण के पास है तो उक्तानुसार निर्णय पारित किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है एवं बेचाननामें से अधिक भूमियों का किसी प्रकार से कोई नामान्तरकरण वादीगण के पक्ष में नहीं किया जावे। वादीगण ने उक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के कथनों से सहमत होते हुए वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् ग्राम कालिंजर पटवार हल्का कालिंजर की जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 311 में अंकित वादग्रस्त खसरा संख्या 1049 रकबा 01–12–00, 1081 रकबा 01–12–10, 1098 रकबा 06–13–10 अन्य सहखातेदारान के साथ पप्पूसिंह वल्द पनासिंह कालू वल्द रूपा के नाम दर्ज है। उक्त खसरा संख्या का राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में विज्ञप्ति बाबत बेचान हस्तान्तर नहीं किये जाने के संबंध में पत्राचार व बिल की प्रति प्रस्तुत की है। पंजीकृत बेचानामामा दिनांक 28 जुलाई 1989 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जिसमें कालू वल्द रूपाजी व अनोपसिंह वल्द पन्ना जी व श्रीमती सायरी बेवाह पन्ना जी ने खसरा संख्या 1098 रकबा 06–13–10, 1049 रकबा 01–12–00, 1081 रकबा 01–12–10 में अपना हक हिस्सा श्री भोजासिंह वल्द भोमसिंह व घीसासिंह वल्द बिरदा सिंह को बेचान किये जाने का अंकन है। ग्राम कालिंजर की जमाबन्दी संवत् 2041–44 में अन्य खसरान् के साथ वादग्रस्त खसरा संख्या 1098 रकबा 06–13–10, 1049 रकबा 01–12–00, 1081 रकबा 01–12–10 अन्य सहखातेदारान के साथ पन्ना कालू पि. रूपा के नाम दर्ज है। जो आगामी रोटेशन जमाबन्दियों में चला आ रहा है। ग्राम कालिंजर की जमाबन्दी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 285 में अन्य खसरान् के साथ अंकित खसरा संख्या 1098 रकबा 06–13–10, 1049 रकबा 01–12–00, 1081 रकबा 01–12–10 अन्य सहखातेदान के साथ पप्पूसिंह वल्द पन्नसिंह कालू वल्द रूपा के नाम दर्ज है।

उक्त सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विवेचन एवं प्रतिवादी स्वयं के इकबालिया बयान के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम कालिंजर पटवार हल्का कालिंजर के खसरा संख्या 1098 रकबा 06–13–10, 1049 रकबा 01–12–00, 1081 रकबा 01–12–10 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक हिस्से तक वादीगण की बएवज़ प्रतिफल खरीदशुदा आराजी है जिस पर वादीगण स्वयं को खातेदार घोषित

..................लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

करवाने के अधिकारी पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम कालिंजर पटवार हल्का कालिंजर के खसरा संख्या 1098 रकबा 06–13–10, 1049 रकबा 01–12–00, 1081 रकबा 01–12–10 में वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा कालूसिंह पुत्र रूपा के हक हिस्से तक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार ब्यावर को आदेश दिया जाता है कि उक्त आराजियात में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा कालूसिंह पुत्र रूपा के स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाकर दुरूस्ती की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के हक हिस्से में आई भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे तथा पूर्व में प्रतिवादीगण अपने नाम के इन्द्राज का फायदा उठाते हुए अन्यत्र स्थानान्तरण बेचान आदि नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को खुले न्यायालय में कैम्प कोर्ट राजियावास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर व अजलाम सुखराम खोखर आर. ए. एस.
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – राजियावास
राजस्व वाद संख्या 114/2017

1. श्री घीसा सिंह पुत्र श्री बिरदा सिंह आयु 64 वर्ष
2. श्री भोजा सिंह पुत्र श्री भोम सिंह आयु 70 वर्ष

समस्त जाति रावत निवासियान ग्राम कालिंजर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर

......................वादीगण

बनाम

1. श्री अनोप सिंह उर्फ पप्पू उर्फ अनोखसिंह पुत्र स्व. श्री पन्ना आयु 50 वर्ष
2. श्रीमती सायरी पत्नि श्री पन्ना आयु 68 वर्ष
   जति रावत निवासियान ग्राम कालिंजर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
3. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय ब्यावर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील ब्यावर

................प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण – श्री सूरज सिंह चौहान
अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1, 2 – –
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.3 व 4 – पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– **114/2017**
निर्णय/डिक्री दिनांक :– **17.05.2018**

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट राजियावास में पेश हुआ। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.05.2018 को सुखराम खोखर (आर. ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट राजियावास में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और प्रारंभिक डिक्री दी जाती है कि –

मज़में आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम कालिंजर पटवार हल्का कालिंजर के खसरा संख्या 1098 रकबा 06–13–10, 1049 रकबा 01–12–00, 1081 रकबा 01–12–10 में वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा कालूसिंह पुत्र रूपा के हक हिस्से तक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार ब्यावर को आदेश दिया जाता है कि उक्त आराजियात में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा कालूसिंह पुत्र रूपा के स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाकर दुरूस्ती की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के हक हिस्से में आई भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे तथा पूर्व में प्रतिवादीगण अपने नाम के इन्द्राज का फायदा उठाते हुए अन्यत्र स्थानान्तरण बेचान आदि नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आज तारीख 17.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर
(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

......................लगातार

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
श्री घीसा सिंह व अन्य बनाम श्री अनोप सिंह उर्फ पप्पू उर्फ अनोखसिंह व अन्य
राजस्व वाद संख्या 114/2017
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – राजियावास

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर
(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर